



संख्या- 207 /2026/ 2540 /चार-2026-1834824

श्रीषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर, 2026

विषय:- जनपद मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर एवं मुरादाबाद में कजरी महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1464/सं०नि०-1(कजरी महोत्सव)/2026-27टी०सी०, दिनांक 31 अगस्त, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कजरी महोत्सव हेतु पांच जनपदों में दिनांक 08 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2026 की अवधि में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर अनुमानित व्यय का विवरण निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है:-

क्र	जनपद	नाम एवं स्थान	मोबाइल न०	विधा	मानदेय	किराया	कुल मानदेय	नोडल संस्था का नाम
1	मिर्जापुर	आश्रया द्विवेदी, प्रयागराज बी ग्रेड/प्रथम	879530055	कजरी गायन	45000	125x2x33 =8250	53250	उ०प्र० लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ (कार्यक्रम दिनांक 08.09.2026 को मिर्जापुर एवं दिनांक 10.09.2026 को वाराणसी में प्रस्तावित)
2		सुश्री रानी सिंह, मिर्जापुर बी ग्रेड/प्रथम	9451185094	कजरी गायन	45000	-	45000	
3		सुश्री रंजना रचिता मिश्रा, लखनऊ (ए ग्रेड, प्रथम)	8004261399	कजरी गायन	55000	325x2x33 =21450	76450	
4		सूफिया बेगम, मिर्जापुर गैर श्रेणी/प्रथम	6393496960	कजरी गायन/नृत्य	40000	-	40000	
5		सुश्री फगुनी देवी, मिर्जापुर (गैर श्रेणी, प्रथम)	7607589487	कजरी गायन	35000	-	35000	
6		सुश्री कल्पना गुप्ता, मिर्जापुर (गैर श्रेणी, प्रथम)	8112922121	कजरी गायन	35000	-	35000	
7	वाराणसी	सुश्री ममता शर्मा (बीहाई, प्रथम)	7007704886	कजरी गायन	45000	-	45000	
8		सुश्री आराधना सिंह, वाराणसी (गैर श्रेणी/प्रथम)	8887135811	कजरी गायन	35000	-	35000	
9		सुश्री प्रियंका सिंह, वाराणसी (गैर श्रेणी/प्रथम)	8369300714	कजरी गायन/नृत्य	40000	-	40000	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10		सुश्री रंजना रॉय, वाराणसी गैर श्रेणी/प्रथम	9199920032	कजरी गायन	35000	-	35000	
11		सुश्री दिव्यानशी द्विवेदी, वाराणसी (बी ग्रेड, प्रथम)	7355589236	कजरी गायन	35000	-	35000	
12		सुश्री आस्था शुक्ला वाराणसी (गैर श्रेणी/प्रथम)	9026087557	कजरी गायन/नृत्य	40000	-	40000	
13		श्री अरूण सोनकर, लखनऊ (गैर श्रेणी/प्रथम)	8707638569	कजरी गायन	35000	350x2 =23100	58100	
14	आजमगढ़	सुश्री मालविका हरिओम, लखनऊ (विशिष्ट/प्रथम)	9120250088	कजरी गायन	10000 0	20000	12000 0	भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय , लखनऊ (कार्यक्रम दिनांक 11.09.2026 को प्रस्तावित)
15		श्री आदर्श मिश्रा, आजमगढ़ (बीहाई/प्रथम)	8009591010	कजरी गायन	45000	-	45000	
16		श्री अजय मिश्रा, आजमगढ़ (विशिष्ट/प्रथम)	9838658425	कजरी गायन	10000 0	-	10000 0	
17		सुश्री कृतिका सिंह, आजमगढ़ (गैर श्रेणी, प्रथम)	8115267520	कजरी गायन	35000	-	35000	
18		हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय, आजमगढ़	-	कजरी गायन/नृत्य	75000	-	75000	
19	गोरखपुर	पद्मश्री मालिनी अवस्थी, लखनऊ (पद्मश्री/प्रथम)	9971498345	लोक गायन	50000 0+ 18%GS T- 72000	30000	60200 0	उपनिदेशक राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर (कार्यक्रम दिनांक 12.09.2026 को प्रस्तावित)
20		श्री राज कुमार तिवारी (राजन) , जौनपुर (बी हाई ग्रेड, प्रथम)	7007865343	कजरी गायन	45000	200x2x33 = 13200	58200	
21		सुश्री इंदु गुप्ता, गोरखपुर (बी हाई ग्रेड, प्रथम)	9450882766	कजरी गायन/नृत्य	45000	-	45000	
22		सुश्री सविता त्रिपाठी, गोरखपुर(बीहाई, प्रथम)	9956862387	कजरी गायन	45000	-	45000	
23		कथक केन्द्र, उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी		कजरी/ सावन पर आधारित नृत्य	75000	-	75000	
24	मुरादाबाद	सुश्री माधुरी शर्मा,	9837258342	कजरी	70000	300x2x33	89800	वृन्दावन शोध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	मथुरा (टॉप ग्रेड, प्रथम)		गायन		= 19800		संस्थान, मथुरा (कार्यक्रम दिनांक 15.09.2026 को प्रस्तावित)
25	सुश्री प्रतिमा वर्मा, मुरादाबाद (गैरश्रेणी/प्रथम)	7830336381	कजरी पर आधारित नृत्य नाटिका	40000	-	40000	
26	सुश्री नमिता अग्रवाल, मुरादाबाद (बी ग्रेड/प्रथम)	9917465656	कजरी गायन/नृत्य	45000	-	45000	
27	सुश्री संजोली पाण्डेय, लखनऊ (बी ग्रेड, प्रथम)	9643187730	कजरी गायन/नृत्य	45000	400x2x33 = 26400	71400	
28	डॉ० दिव्य दत्त, मुरादाबाद (बी ग्रेड, प्रथम)	8218298076	कजरी गायन	45000	-	45000	
योग- (रूपये बीस लाख चौसठ हजार दो सौ मात्र)						2064200	

प्रतिभाग करने वाले अतिविशिष्ट/ ख्यातिलब्ध कलाकारों एवं लोक कलाकारों के आवास, भोजन एवं यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले व्ययों का अनुमानित व्यय विवरण:-

क्र०	विवरण	अनुमानित धनराशि
1	कलाकारों के मानदेय पर व्यय	20,64,200.00
2	कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार प्रति स्थल 2.00 लाख (2.00 x5)	10,00,000.00
3	कार्यक्रम स्थल की साज-सज्जा पर व्यय प्रति स्थल 5.00 लाख (5.00 x5)	25,00,000.00
4	कार्यक्रम हेतु लाइट, साउण्ड, टेन्ट आदि प्रति स्थल 5.00 लाख (5.00 x5)	25,00,000.00
5	कलाकारों हेतु सूक्ष्म जलपान, आवास, भोजन आवश्यकतानुसार प्रति स्थल 1.50 लाख (1.50 x5)	7,50,000.00
6	यातायात पर व्यय प्रति स्थल 1.00 लाख (1.00 x5)	5,00,000.00
7	अन्य व्यय प्रति स्थल 0.60 लाख (0.60 x5)	3,00,000.00
	कुल अनुमानित योग	96,14,200.00

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार जनपद मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर एवं मुरादाबाद में कजरी महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु **रु० 96,14,200.00 (रूपये छियात्रबे लाख चौदह हजार दो सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

शर्तें / प्रतिबंध:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
 - (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
 - (5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
 - (7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
 - (8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
 - (9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्वर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
 - (10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय -06- हरिहरपुर एवं अन्य स्थलों पर कजरी महोत्सव -42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।